FORM NO III

फर्द अहकाम

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी
मुकाम– धोद मु.सीकर

गीतादेवी आदि
बनाम
तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा– राजस्व वाद/06/2016 (नया मु.नं. /2021)
मु.नं. 49/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.08.2021	पत्रावली हस्तगत पत्रावली से संबंधित वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन मु.सं. 90/2019 बउनवान गीता देवी आदि बनाम तहसीलदार स्वीकार होने पर पेशी में ली गई। हस्तगत वाद पुनः दर्ज रजिस्टर हों। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली व संबंधित रिव्यू आवेदन का अवलोकन किया। अतः वकील वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी हों। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/06/2016 (नया मु.नं.49/2021)

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री हरिप्रसाद पारीक उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर
2. बालचंद पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद पारीक उम्र 36 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती

अ. धा. 88 राज. काश्तकारी अधि. एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति–

श्री सत्यवीरसिंह वकील वादीगण की ओर से

–:निर्णयः–

दिनांक– 26.08.2021

01. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है विवादित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 82 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 3.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.68 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 10.02 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतडवास तहसील धोद जिला– सीकर में बक्सीराम, जवानीराम पिता पन्नाराम पुरोहित के नाम से दर्ज थी दोनों ही नाऔलाद फौत हो गये तथा बक्सीराम के गोद का पुत्र हरिप्रसाद एकमात्र दोनों का प्रथम श्रेणी का दत्तक पुत्र होने के कारण वारिस था, इस कारण दिनांक 12.01.69 को नामान्तकरण संख्या 69 के जरिए बक्सीराम व जवानीराम का लिगल वारिस उसका दत्तक पुत्र मानते हुये खातेदारी हरिप्रसाद पुत्र बक्सीराम के नाम दर्ज की गई। सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबन्दी के दौरान बिना किसी आदेश व बिना किसी न्यायालय के निर्णय के भू0 अ0 नि0 हरिसिंह ने जमाबन्दी में नोट लगाकर लिख दिया कि मौका जांच की रिपोर्ट के अनुसार खाता बदस्तुरपूर्वक रखा जावें, जिसमें न तो कोई दिनांक डाली गई ना ही किसी आदेश के अनुसार रिपोर्ट का उल्लेख किया गया और खाता वापिस बक्सीराम, जवानीराम पुत्र पन्नाराम पुरोहित सादेह हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया, उसके बाद खातेदारी बक्सीराम आदि के नाम चलती रही। सम्वत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी में पुनः विपणीयों में नोट लगाकर उल्लेख किया गया कि जरिए परिशोधन पत्र सं. 21 श्रीमान् ए.एस.ओ. साहब, सीकर के आदेशानुसार खसरा नम्बर 25, 155, 156 मु0 बादामी बेवा लादूराम कौम पुरोहित के नाम दर्ज किया गया। उक्त टिप्पणी के आधार पर खातेदारी बादामी बेवा लादूराम जाति पुरोहित सा.देह के नाम से दर्ज होकर आज तक बादामी के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। हरिप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

हरिप्रसाद

गीता देवी (पत्नी) वादी सं. 1 — बालचंद (पुत्र) वादी सं. 2

बादामी देवी ने माननीय जिला कलक्टर के समक्ष ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 03.03.69 के विरूद्ध अपील पेश की थी। उक्त अपील को माननीय जिला कलक्टर द्वारा खारिज करते हुये ग्राम पंचायत नेतडवास की आज्ञा दिनांक 3.3.69 को बहाल रखा गया उसके बावजूद बिना किसी आदेश के भू.अ.नि. को खातेदारी स्वंय द्वारा हस्तानान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके बावजूद कानून विरूद्ध स्थिति का उल्लेख कर खातेदारी हस्तानान्तरित की गई है, जिसको निरस्त फरमाया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हरिप्रसाद के वारिसान के नाम दर्ज की जावें तथा बादामी देवी के नाम से दर्ज खातेदारी हटाई जाकर बादामी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजब किया जावें। बादामी देवी भी नाऔलाद फौत हो चुकी है, उनके कोई विधिक वारिस नहीं है, इसलिए उक्त वाद पत्र में उन्हें विपक्षी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत नेतडवास द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 69 को आज तक किसी भी अदालत द्वारा निरस्त नहीं फरमाया है, इसलिए आज दिवस तक ग्राम पंचायत नेतडवास की आज्ञा व निर्णय दिनांक 03.03.69 प्रभावी है, इसलिए भी वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण स्व0 हरिप्रसाद के प्रथम श्रेणी में लिगल वारिस होने के कारण वादीगण के पक्ष में वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की उद्घोषणा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण के पति व पिता ने अपने जीवनकाल में कोई मुकदमा लडा था, जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी तथा वादीगण ग्रामीण परिवेश के अज्ञान व्यक्ति है जिसके कारण खातेदारी तब्दीली की जानकारी नहीं हुई, जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में खातेदारी बिदामी देवी के नाम दर्ज होने की जानकारी मिलने पर पुराने दस्तावेजों को देखने व राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर पूर्ण जानकारी हुई, इस प्रकार दिनांक 30.04.2015 को पूर्ण जानकारी होने से वाद पत्र का वाद कारण उत्पन्न होकर दावा अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने के कारण वाद सादर प्रस्तुत है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर उद्घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 82 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 3.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.68 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 10.02 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतडवास तहसील धोद जिला– सीकर के राजस्व रिकार्ड में बिदामी देवी बेवा मु0 लादूराम कौम पुरोहित सादेह का नाम हजब किया जाकर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज किया जावें इस प्रकार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्ती फरमाया जावें।

02. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स्वयं भूमिधारी पक्षकार होने के कारण तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में ली गई, जो कि तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./16/3823 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त आराजी का सिविल न्यायालय में राजिस्ट्री निरस्तीकरण का दावा है। इस न्यायालय में हस्तगत वाद उद्घोषणा का है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित है। हरिप्रसाद फौत हो चुके है, जिनके विधिक वारिस वादीगण है। अतः उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बिदामी देवी बेवा मु0 लादूराम कौम पुरोहित सादेह का नाम हजब किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

04. उक्तानुसार दावे में खातेदारी की उद्घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादीगणों द्वारा यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि वादीगणों का पति/पिता हरिप्रसाद बक्सीराम का गोद पुत्र है। वादीगणों ने हरिप्रसाद को बक्सीराम द्वारा गोद लिये जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि हरिप्रसाद को बक्सीराम ने गोद लिया था। अतः वादीगण अपने पति/पिता हरिप्रसाद को बक्सीराम का दत्तक पुत्र प्रमाणित करने में असफल रहने के कारण तत्समय वादीगण का वाद उनके पक्ष में डिक्री वादीगण का वाद साबित नहीं होने से व विधिसम्मत नहीं होने से न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 के द्वारा खारिज किया जाकर अंतिम डिक्री किया गया। उक्त वाद इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2019 द्वारा वादीगण के पूर्वज हरिप्रसाद के बक्सीराम के गोद जाने संबंधी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने के आधार पर वाद खारिज किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी वादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 152 सीपीसी के स्वीकार होने पर प्रस्तुत वाद पुनः संस्थापित हुआ है।

05. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 के संबंध में वकील वादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा एक रिव्यू आवेदन पेश होने पर उक्त को स्वीकार किये जाने पर हस्तगत वाद को पुनः दर्ज किया जाकर बहस वकील वादीगण से सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने कथन किया कि दिनांक 30.09.2019 को निर्णय डिक्री जारी होने के बाद वांछित गोदनामा की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। अब रिव्यू आवेदन के साथ यह रजिस्टर्ड गोदनामा की सत्यप्रतिलिपि पेश की जा रही है। इसके संबंध में रिव्यू आवेदन की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट प्रकरण में ली गई, जो कि तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2020/822 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा प्राप्त हुई। उक्त भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है। उक्त के मध्यजनर वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। वादीगण की ओर से अपने वाद के तथ्यों के समर्थन में पंजीकृत दानपत्र दिनांक 05.12.1968 डिक्सिट्रीट कमिश्नर, सीकर की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें जड़ावदेवी विधवा बक्सीराम ब्राह्मण नि. माजीपुरा द्वारा वाद में वर्णित आराजियात सहित अन्य सम्पदा हरिप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण व्यास नि. सरवड़ी को दे देना (दान) तथा हरिप्रसाद को उसके पत्नि के समय से दत्तक पुत्र होना अंकित किया हुआ है। यह दस्तावेज तत्समय पंजीकृतशुदा है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को चुनौती दिया जाना अथवा अमान्य किये जाने संबंधी कोई तथ्य रिकॉर्ड पर पेश नहीं हुआ है। अतः इस दस्तावेज को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इस रजिस्टर्ड दस्तावेज से प्रार्थीगण का पूर्वज हरिप्रसाद बक्सीराम का दत्तक पुत्र होना तथा वादग्रस्त आराजियात उसे दान में मिलना, तत्समय से उसका कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि बक्सीराम आदि के फौत होने पर ग्राम पंचायत नेतड़वास द्वारा दत्तक पुत्र की हैसियत से

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु० सीकर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी जरिये नामान्तरकरण सं. 69 दिनांक 12.01.1969 हरिप्रसाद के नाम दर्ज की थी, जो बिना सक्षम आदेश व प्रक्रिया के बिना सक्षम आदेश व प्रक्रिया के बिदामी के नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर सन 1969 से कब्जा, काश्त होना कथन किया है। जिसकी पुष्टि पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.12.1968 से होती है। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, धोद से भी मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें भी वादीगण के वाद के तथ्यों की ताईद होती है। वाद वंशावली से वादीगण का हरिप्रसाद के विधिक वारिस होना प्रकट होते है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद साबित होने से वादीगण का वाद उनके पक्ष में डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 82 रकबा 2.07 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.78 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.70 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.83 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.64 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.68 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 10.02 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर का वर्तमान राजस्व रिकार्ड निरस्त कर वादीगण को हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

श्रीमती गीता देवी आदि बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर– 06/2016 (नया मु.नं. 49 /2021) निर्णय दिनांक– 26.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिथलेश कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री सत्यवीरसिंह चौधरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 82 रकबा 2.07 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.78 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.70 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.83 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.64 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.68 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 10.02 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर का वर्तमान राजस्व रिकार्ड निरस्त कर वादीगण को हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आज तारीख 26.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु0 सीकर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner